

माता-पिता / अभिभावक द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र / हलफनामा

1. मैं श्री/ श्रीमती पिता / माता /
(माता-पिता / अभिभावक का पूरा नाम)
अभिभावक को
(प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित विद्यार्थी का पूरा नाम) (संस्था का नाम)
में प्रवेश दिया गया है। मैंने उच्च शिक्षा, संस्थाओं में उत्पीड़न की धमकी (menace)/ उत्पीड़न को प्रतिबंधित करने के लिये विश्वविद्यालय आयोग के विनियमों/ अधिनियमों 2009 की प्रति प्राप्त कर ली है। मैंने उक्त अधिनियमों/ विनियमों के अन्तर्गत निहित/लिखित प्रावधानों को अच्छी तरह से पढ़ और समझ लिया है। विश्वविद्यालय आयोग के अधिनियमों / विनियमों 2009 को आगे से केवल 'अधिनियमों/विनियमों' कहा जायेगा।
2. अधिनियमों / विनियमों की धारा तीन (3) को मैंने गंभीरता से पढ़कर समझ लिया है कि 'उत्पीड़न' क्या होता है/ उत्पीड़न का अर्थ क्या है? उत्पीड़न के अर्थ के संबंध में मैंने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है।
3. मैंने अधिनियमों / विनियमों की धाराओं सात (7) और 9.1 को भी गहराई से पढ़कर समझा है कि सक्रिय या निष्क्रिय किसी रूप में भी उत्पीड़न को बढ़ावा देने के षडयंत्र में भागीदारी होने की दशा में अथवा उत्पीड़न के लिये उकसाने के दोषी पाये जाने पर दंड संहिता/ दंड विधान के अनुसार दंड और प्रशासनिक कार्यवाही के लिये जिम्मेदार मेरा आश्रित खुद होगा।
4. मैं विधिवत और सत्यभाव से दृढ़ निश्चयपूर्वक विश्वास दिलाता हूँ/ वचन देता हूँ / देती हूँ कि -
(क) मेरा आश्रित अधिनियमों/विनियमों की धारा तीन (3) के अंतर्गत 'उत्पीड़न' की परिभाषा / सीमा के तहत आने वाले व्यवहार व किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगा।
(ख) अधिनियमों/ विनियमों की धारा तीन (3) में 'उत्पीड़न' की सीमा में आने वाले व्यवहार के लिये उकसाने या बढ़ाने में मेरे आश्रित की कोई भागीदारी नहीं रहेगी।
5. अधिनियमों/ विनियमों की धारा 11 के अनुसार यदि मेरा आश्रित उत्पीड़न का दोषी पाया गया तो अन्य किसी अपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह/ पक्षपात के बिना उस समय लागू कानून और दंड विधान/ दंड संहिता के अनुसार दंड के भागी होने की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी।
6. मैं एतद् / उसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा आश्रित उत्पीड़न को बढ़ावा देने के षडयंत्र में भागीदारी के लिये या उत्पीड़न के लिये उकसाने के लिये देश की किसी भी संस्था में प्रवेश के लिये प्रतिबंधित या निष्कासित नहीं किया गया है। मैं पुनः / फिर से निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि यदि मेरी घोषणा असत्य पाई गई तो मेरे आश्रित का प्रवेश निरस्त हो / माना जायेगा।

यह घोषणा को में की गई है।
(दिनांक) (माह) (वर्ष)

सत्यापन/प्रमाणीकरण

यह सत्यापन / प्रमाणीकरण किया जाता है कि शपथ पत्र का विषय / की विषयवस्तु मेरी जानकारी के अनुसार (पूर्ण) सत्य है। इस शपथपत्र का कोई भी भाग असत्य नहीं है। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया तथा गलत नहीं बताया गया है।

यह सत्यापन / प्रमाणीकरण पर को में में किया गया है।
(स्थान) (दिनांक) (माह)

नाम

हस्ताक्षर
अभिसाक्षी

मेरी उपस्थिति में को इस / उक्त शपथ पत्र के विषय / की विषयवस्तु को
(दिनांक) (माह) (वर्ष)

पढ़कर उसकी पुष्टि की उसका समर्थन किया गया और हस्ताक्षर किये गये।